तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री राजेन्द्रसिंह राजावत, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी।
(2) अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 29.01.2024

1– यह रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर (प्रथम), जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2005 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 07–05–2005 के संदर्भ में पेश किया गया है।

2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, चाकसू ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2008 से 2023 ग्राम सदास्योपुरा उर्फ यारलीपुरा तहसील चाकसू के मुताबिक आराजी ख0नं0 475 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 484 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा व 489 रकबा 2 बिस्वा किता 3 कुल रकता 4 बीघा 1 बिस्वा आराजी माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी पुजारी जौहरीलाल पुत्र श्रीलाल ब्रा0 की खातेदारी में दर्ज थी। ग्राम एकीकरण के दौरान सम्वत् 2021 में खसरा नं0 475, 484 व 489 परिवर्तित होकर खसरा नं0 126, 122 व 125 बिना किसी आधार व आदेश के पुजारी जौहरीलाल के फौत होने से विरासत नामान्तरकरण सं0 87 से शंकरलाल वल्द जौहरीलाल की खातेदारी में दर्ज कर दी तथा उक्त एकीकरण में यह भूमि मन्दिर के नाम से विलोपित कर दी गई। बन्दोबस्त सम्वत् 2051 से 2070 में खसरा नं0 122, 125, 126 परिवर्तित होकर नये खसरा नं0 649, 662, 663, 667, 661/1282 कुल रकबा 1–08 है0 दर्ज की और इसका बेचान पुजारी शंकरलाल द्वारा अप्रार्थी मै0 भूतेडिया ऑयल इण्ड0 प्रा0लि0 को किये जाने पर पर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2056 से 2069 में उक्त खसरा नंबरान की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हुई जबकि इस प्रकार उक्त माफी मन्दिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तान्तरण हुआ है जिसे वापिस खातेदारी माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी के नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया।

3– प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 07–05–2005 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है।

4– योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी संवत् 2008 से 2023 में माफी मंदिर श्री ठाकुरजी के नाम थी, जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरित कर दी गई है, जो अनुचित है और बिना वैध और बिना सक्षम आदेश के किया गया हस्तान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से निरस्तनीय है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी वापिस माफी मंदिर श्री ठाकुरजी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

5– मैने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

6– प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2008 से 2023 ग्राम सदास्योपुरा उर्फ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यारलीपुरा तहसील चाकसू के मुताबिक आराजी ख0नं0 475 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 484 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा व 489 रकबा 2 बिस्वा किता 3 कुल रकता 4 बीघा 1 बिस्वा आराजी माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी पुजारी जौहरीलाल पुत्र श्रीलाल ब्रा0 की खातेदारी में दर्ज थी। ग्राम एकीकरण के दौरान सम्वत् 2021 में खसरा नं0 475, 484 व 489 परिवर्तित होकर खसरा नं0 126, 122 व 125 बिना किसी आधार व आदेश के पुजारी जौहरीलाल के फौत होने से विरासत नामान्तरकरण सं0 87 से शंकरलाल वल्द जौहरीलाल की खातेदारी में दर्ज कर दी तथा उक्त एकीकरण में यह भूमि मन्दिर के नाम से विलोपित कर दी गई। बन्दोबस्त सम्वत् 2051 से 2070 में खसरा नं0 122, 125, 126 परिवर्तित होकर नये खसरा नं0 649, 662, 663, 667, 661/1282 कुल रकबा 1-08 है0 दर्ज की और इसका बेचान पुजारी शंकरलाल द्वारा अप्रार्थी मै0 भूतेडिया आयल इण्ड0 प्रा0लि0 को किये जाने पर पर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2056 से 2069 में उक्त खसरा नंबरान की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हुई जबकि इस प्रकार उक्त माफी मन्दिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तान्तरण हुआ है जो प्रारम्भ से ही शून्य है। मन्दिर मूर्ति नाबालिग है और नाबालिग के अधिकार किसी को भी हस्तान्तरित नहीं हो सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 (4) व 46 (ए) के अनुसार नाबालिग व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि की काश्त अन्य व्यक्ति द्वारा करवायी जा सकती है ओर इसी अधिनियम की धारा 5 के अनुसार नाबालिग द्वारा करवाई गयी काश्त उसके स्वयं द्वारा की गई काश्त ही मानी जावेगी। विवादित आराजी पर स्वयं पुजारी काश्त कर रहा था जबकि नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। विवादित आराजी माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी की खातेदारी की आराजी है। प्रश्नगत प्रकरण में रेकार्ड में बिना आधार व बिना किसी आदेश के नियम विपरीत अप्रार्थी को हस्तान्तरण हुआ है। इसलिए हस्तगत् रेफरेन्स काबिल स्वीकार योग्य है। 7- परिणामस्वरूप, यह रेफरेन्स **स्वीकार** किया जाकर ग्राम यारलीपुरा तहसील चाकसू के वर्तमान आराजी खसरा नं0 649 रकबा 0-33 है, 662 रकबा 0-03 है0, 663 रकबा 0-62 है0, 667 रकबा 0-05 है0, 661/1282 रकबा 0-05 है0 कुल रकबा 1-08 है0 की खातेदारी अप्रार्थी के नाम से हटाकर वापिस **माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी** के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं तथा अप्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित समस्त इन्द्राज निरस्त किये जाते हैं। 8- आदेश की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। 9- पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	